स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

जेम बोली सूचना: कोच्ची स्थित स्पाइसेस बोर्ड में मासिक आधार पर वाहन किराए पर लेने के लिए।

बोली संदर्भ संख्या: प्रशा./स्था./मुख्या./वाहन किराया/जेम/2024-25
जारी करने की तिथि: 07 सितंबर 2026

जारी करने वाला प्राधिकरण:
सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,
सहायक निदेशक (खरीद एवं स्थापना)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच बैपास,
पालारिवट्टम पी.ओ कोच्ची - 682002,केरल,भारत
फोन: 0484-2333610-615

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1	बोलीदाताओं के लिए सामान्य जानकारी एवं निर्देश	3
2	किराए पर लिए जाने वाले वाहन का विवरण	3
3	सामान्य निबंधन एवं शर्तें	3
4	विशेष निवंधन एवं शर्तें	4
5	पात्रता मापदंड	5
6	बोली प्रक्रिया	6
7	महत्वपूर्ण तिथियाँ	7
8	अनुलग्नक क: सहायक दस्तावेज जमा करने के लिए चेकलिस्ट और प्रारूप	8
9	अनुलग्नक ख : वाहन के विवरण	9
10	अनुलग्नक ग: वचन नामा	10

1. **बोलीदाताओं के लिए सामान्य जानकारी और अनुदेश**
स्पाइसेस बोर्ड भारत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी और वित्तीय रूप से मजबूत ठेकेदारों/मालिकों/एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है - जिसमें एक तकनीकी बोली और एक वित्तीय बोली शामिल है - जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, स्पाइसे बोर्ड के अध्यक्ष, सुगंध भवन , एन.एच बाई पास, पलारिवट्टम डाकघर, कोच्ची 682025, केरल के आधिकारिक उपयोग के लिए मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु है।

अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा बोर्ड कार्यालय की परिचालन आवश्यकताओं के अधीन, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित संख्या में वाहन किराये पर ले सकता है।

योग्य और इच्छुक बोलीदाता जो GeM बोली में उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा कर सकते हैं और निर्धारित शर्तों से सहमत हैं, उन्हें इस निविदा सूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बोली दस्तावेज पूरी तरह से भरे हुए, विधिवत हस्ताक्षरित हों और निविदा सूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले GeM पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हों।

2. किराये पर लिए जाने वाले वाहन का विवरण:

क्र.सं	श्रेणी	आवश्यक वाहनों की संख्या	उपयोग/किलोमीटर
1	एमयूवी/एसयूवी (इनोवा क्रिस्टा या समकक्ष)	1	2000 कि.मी x 300 घंटे प्रति माह

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

3. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

3.1 बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निबंधन और शर्तों में सभी खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।

3.2 बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की एकमात्र जिम्मेदारी है कि उनकी बोलियां और सभी सहायक दस्तावेज समय पर और निर्दिष्ट अनुसार जमा करें।

3.3. यदि बोली खोलने की तिथि किसी घोषित अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली अगले कार्यदिवस पर उसी समय या क्रेता द्वारा सूचित किए गए समय पर खोली जाएगी।

3.4. क्रेता द्वारा बोली खोलने की तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार बोलीदाताओं को विधिवत सूचित किया जाएगा।

3.5. बोली की वैधता जेम पोर्टल पर दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

3.6. बोलियां निर्धारित समय के भीतर केवल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.7. सभी बोली दस्तावेजों को पूरी तरह से भरा जाना चाहिए, विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और निर्दिष्ट समय सीमा से पहले जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

3.8. स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाता जेम पोर्टल पर प्रतिनिधित्व कॉलम के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई गई हो।

3.9. निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए और सुपाठ्य होने चाहिए।

3.10 स्पाइसेस बोर्ड किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि

i. कोई ब्लैकलिस्टेड या प्रतिबंधित पक्ष सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 151 में उल्लिखित अनुसार बोली प्रस्तुत करता है;।
ii. कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी की जाती है या उसका पता चलता है; या
iii. बोलीदाता प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मांगी गई पूरक जानकारी निर्दिष्ट समय के भीतर प्रदान नहीं करता है।
iv. क्रय आदेश दिए जाने के बाद सेवा प्रदाता बोली और बोली पत्र के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, या
v. यद्यपि, यदि किसी संभावित बोलीदाता द्वारा पूछताछ की जाती है, तो निविदा अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज जारी न करने के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

3.11 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा, बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.12 निर्धारित तिथि और समय पर केवल तकनीकी बोलियां ही खोली जाएंगी।

3.13. केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद अनुरूप पाई जाती हैं।

3.14. बोलीदाताओं को इस बोली से संबंधित जेम/सीपीपी पोर्टल और स्पाइसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र पर नज़र रखनी चाहिए।

3.15. निविदा की पूर्णता: अपूर्ण निविदाएँ या अनुलग्नक विवरणों की कमी होने पर निविदा अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। हस्ताक्षरकर्ता को फर्म में अपने अधिकार और भूमिका को स्पष्ट करना होगा।

3.16 निविदा अधिकार : स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है **।**

4. विशेष निबंधन एवं शर्तें

4.1. ठेकेदार/मालिक/एजेंसी को **स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एनएच बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025, केरल** में एक एसी एसयूवी/एमयूवी वाहन (टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस या समकक्ष) टैक्सी परमिट (2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं), अधिमानतः सफेद रंग का, उत्कृष्ट स्थिति में, ईंधन और वैध लाइसेंस प्राप्त चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा।

4.2. ईंधन, मरम्मत, रखरखाव, व्यापक बीमा, टोल शुल्क, पार्किंग शुल्क, कर और चालक का वेतन ठेकेदार/मालिक/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, सभी मरम्मत कार्य ठेकेदार/मालिक/एजेंसी द्वारा स्पाइसेस बोर्ड की किसी भी जिम्मेदारी के बिना और सेवा में कोई व्यवधान डाले बिना किए जाएंगे।

4.3. यदि वाहन मरम्मत, खराबी या चालक की अनुपलब्धता के कारण अनुपलब्ध है, तो ठेकेदार/मालिक/एजेंसी स्पाइसेस बोर्ड को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उसी या उच्च श्रेणी का प्रतिस्थापन वाहन और चालक तुरंत उपलब्ध कराएगी।

4.4. चालक द्वारा तय की गई किलोमीटर दूरी और उपयोग किए गए घंटों का विवरण देते हुए एक दैनिक लॉगबुक रखी जाएगी, जिस पर स्पाइसेस बोर्ड के अधिकृत अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर होंगे।

4.5. स्पाइसेस बोर्ड की आवश्यकतानुसार, वाहन का उपयोग केरल राज्य से बाहर की यात्रा सहित बाहरी कार्यों के लिए किया जा सकता है। अंतर-राज्यीय परमिट, टोल शुल्क और पार्किंग शुल्क से संबंधित सभी लागतें ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी।

4.6. चालक अनुभवी होना चाहिए, उसके पास वैध वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वह साफ-सुथरी वर्दी में होना चाहिए, उसका व्यवहार विनम्र होना चाहिए और संचार के लिए उसके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा चालक को किसी भी प्रकार का टीए /डीए, दैनिक भत्ता, ठहराव शुल्क या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
4.7. उद्धृत मासिक दर **2,000 किलोमीटर और 320 घंटे** के उपयोग के लिए होगी और इसमें सभी लागू कर शामिल होंगे। अतिरिक्त किलोमीटर और/या अतिरिक्त घंटों के लिए, यदि कोई हो, तो अलग-अलग दरें उद्धृत की जाएंगी।

4.8. यदि मासिक चलने वाले किलोमीटर और/या चलने वाले घंटे निर्धारित सीमा से कम हैं, तो भुगतान उद्धृत दरों के अनुसार आनुपातिक रूप से विनियमित किया जाएगा।

4.9. उद्धृत दरें अनुबंध अवधि के दौरान स्थिर और निश्चित रहेंगी। किसी भी कारण से दरों में वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.10. अनुबंध अवधि के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, क्षति या हानि के लिए भारतीय स्पाइसेस बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध अवधि के दौरान वाहन वैध व्यापक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो।

4.11. यह अनुबंध तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा।

4.12. भुगतान की शर्तें
(i) ठेकेदार प्रत्येक माह की सेवा पूर्ण होने के बाद जेम पोर्टल के माध्यम से मासिक बिल जमा करेगा। बिल की हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है।
(ii) लागू वैधानिक करों और अन्य वसूलियों, यदि कोई हो, की कटौती के बाद भुगतान जारी किया जाएगा।

4.13. स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए एक सप्ताह का सूचना देकर किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.14. स्पाइसेस बोर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.15. इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद केरल की सक्षम अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

4.16. अपूर्ण बोलियाँ या आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत न की गई बोलियाँ अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी।

5. पात्रता मानदंड

5.1. कानूनी स्थिति: बोलीदाता भारत में कानूनी रूप से पंजीकृत इकाई (स्वामित्व/साझेदारी फर्म/एलएलपी/कंपनी) होनी चाहिए।
5.2. केरल में कार्यालय: बोलीदाता का केरल राज्य में एक पंजीकृत कार्यालय या शाखा कार्यालय होना चाहिए।

5.3. वैधानिक पंजीकरण: बोलीदाता के पास वैध पैन और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।

5.4. अनुभव: बोलीदाता के पास केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों या प्रतिष्ठित संगठनों को वाहन किराए पर देने की सेवाएं प्रदान करने का **न्यूनतम तीन (03) वर्ष** का अनुभव होना चाहिए।

5.5. वित्तीय क्षमता: बोलीदाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान औसत वार्षिक कारोबार **30 लाख से कम नहीं** होना चाहिए।

5.6. व्यावसायिक स्थिति: बोलीदाता सक्रिय रूप से व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और परिसमापन, दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही के अधीन नहीं होना चाहिए।

5.7. ब्लैकलिस्टिंग: बोली जमा करने की तिथि तक बोलीदाता को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय या सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए।

5.8. हितों का टकराव: बोलीदाता का खरीद संस्था के साथ कोई हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।

5.9. निविदा शर्तों की स्वीकृति: निविदाकर्ता अपने पत्रशीर्ष पर एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निविदा दस्तावेज, सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें और यदि कोई संशोधन हों तो उनकी सभी शर्तों और नियमों की स्वीकृति की पुष्टि की जाएगी।

5.10. निविदा दस्तावेज जमा करना: बोलीदाता को निविदा दस्तावेज को पूरी तरह से अपलोड करना होगा, जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी हो, जो उसमें निहित सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति का प्रतीक हो।

5.11. बोली का प्रमाणीकरण: बोली पर बोलीदाता या बोलीदाता को अनुबंध के लिए बाध्य करने हेतु विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। जहां लागू हो, प्राधिकरण के साथ वैध पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकरण पत्र संलग्न होना चाहिए। बोली के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए।

5.12. निविदा में सुधार : निविदा में किसी भी प्रकार की अतिलेखन, मिटाना या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किए गए किसी भी सुधार को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए।

बोली प्रक्रिया

6. बोली कैसे प्रस्तुत करें

6.1. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक ए और अनुलग्नक बी में विस्तृत रूप से बताया गया है।

6.2. बलियों का खुलना: सबसे पहले तकनीकी बोलियाँ खोली जाएँगी और बोलीदाताओं को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करेंगे। इस निविदा सूचना के अंतर्गत सेवाओं की खरीद या आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार "अनिवार्य" के रूप में GeM के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सभी बोलीदाताओं को नीचे "महत्वपूर्ण तिथियों" में उल्लिखित तिथि और समय तक https://gen.gov.in पर अपनी बोलियाँ ऑनलाइन जमा करनी होंगी। निविदा बॉक्स में बोलियाँ डालने या हाथ से, डाक से या काउंटर से भेजी गई बोलियाँ प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा भेजी या प्राप्त की गई बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

6.3. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे

i. बोलीदाता उपरोक्त अध्याय-3 के अनुसार पात्र होना चाहिए
ii. पात्रता प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।
iii. प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर के साथ निबंध एवं शर्तों की स्वीकृति।

6.4. वित्तीय बोली
वित्तीय बोली विशेष रूप से GeM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

तकनीकी बोली में वित्तीय जानकारी का समावेश होने पर बोली को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6.5. दर उद्धरण: ठेकेदारों/एजेंसियों को एक वाहन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए प्रति वाहन, प्रति माह (2000 किमी x 300 घंटे) के आधार पर दर उद्धृत करनी होगी। बोलीदाताओं को अपना उद्धरण केवल भारतीय रुपये में प्रस्तुत करना होगा। दर शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए।

6.6 अनुबंध का कुल मूल्य:
आधिकारिक उपयोग के लिए किराए पर लिए गए वाहन को उपलब्ध कराने के लिए इस निविदा के तहत एक वर्ष के लिए कुल अनुबंध मूल्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

6.7. जीएसटी अनुपालन: बोली की कीमतों में जीईएम प्रणाली के अनुसार जीएसटी शामिल है। जीएसटी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

6.8. बोली वापसी: कोटेशन वापस लेने का अनुरोध निर्धारित खुलने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.9. एल-1 बोलीदाता का चयन: यदि एक से अधिक बोलीदाताओं को जीईएल पोर्टल में एल-1 रैंक दिया गया है या कई एल-1 बोलीदाताओं ने एक ही कीमत उद्धृत की है, तो एल-1 बोलीदाताओं के बीच चयन रैंडम माध्यम GeM प्रणाली द्वारा निष्पादित एल्गोरिथम/L1 चयन चलाएँ (ऑटो रण) विकल्प से किया जाएगा।

7. महत्वपूर्ण तिथियां;

बोली प्रारंभ तिथि	:	07.09.2026 को
बोली समाप्ति तिथि	:	21.09.2026 को 13:00 बजे
बोली खोलने की तारीख	:	22.09.2026 को 13:30 बजे

8. अनुलग्नक 'क'
बोली लगाने वालों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों की जांच सूची
(हर एंट्री को साबित करने के लिए जेम पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़)

क्रमांक	निविदा खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार)
1	5.1	पंजीकरण /निगमन प्रमाण पत्र की प्रति (स्वामित्व/साझेदारी/एलएलपी/कंपनी, जैसा लागू हो)	
2	5.2	केरल राज्य में पंजीकृत कार्यालय या शाखा कार्यालय होने का प्रमाण	
3	5.3	वैध पैन और जीएसटी पंजीकरण	
4	5.4	वाहन किराये पर देने की सेवाओं में कम से कम तीन(03) वर्षों के अनुभव को प्रमाणित करने वाले कार्य आदेशों/अनुबंधों/पूर्णता प्रमाण पत्रों की प्रतियां।	
5	5.5	खनदी लेखाकार द्वारा जारी ऑडिट की गई बैलेंस शीट या कारोबार प्रमाणपत्र, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹30 लाख का औसत सालाना टर्नओवर दिखाया गया हो।	
6	5.6	यह बताते हुए स्व-घोषणा कि बोली लगाने वाली कंपनी परिसमापन, दिवालियापन या दिवालिया होने की कार्यवाही के अधीन नहीं है।	
7	5.7	स्व-घोषणा कि बोली लगाने वाले को किसी सरकारी विभाग/PSU/स्वायत्त निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।	
8	5.8	खरीद करने वाली संस्था के साथ हितों का कोई टकराव न होने की पुष्टि करने वाला स्व-घोषणा पत्र।	
9	5.9	बोली लगाने वाले के पत्रशीर्ष पर एक अंडरटेकिंग, जिसमें बोली की सभी शर्तों और नियमों तथा किसी भी संशोधन को स्वीकार किया गया हो।	
10	5.10	पूरा टेंडर दस्तावेज़, जिसके हर पन्ने पर विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी हो।	

9. अनुलग्नक-ख – वाहन विवरण

उपलब्ध काराया जाने वाला एसयूवी/एमयूवाई होना चाहिए, जो अनुबंध शुरू होने की तारीख से तीन साल से अधिक पुराना न हो।

(प्रत्येक वाहन के लिए आरसी, बीमा और पीयुसी की सुपाठ्य प्रतियां संलग्न करें)

क्रमांक	**पंजीकरण संख्या**	**स्वमित्व / पट्टे पर / किराये पर**	**निर्माण और नमुना**	**निर्माण की तिथि**	**बीमा संख्या और वैधता**	**पीयूसी संख्या और वैधता**
1						
2						
3						
4						
5						

10. अनुलग्नक – ग - वचनपत्र

प्रेषक :
(बोलीदाता का पूरा नाम और पता)

सेवा में,
सचिव,
भारतीय स्पाइसेस बोर्ड

महोदय,

यदि मुझे आपके कार्यालय को मासिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा जाता है, तो मैं एतद्द्वारा यह वचनबद्ध करता/करती हूँ कि मैं यह कार्य स्वयं वहन करूँगा/करूँगी।

1. मेरे द्वारा आपके कार्यालय को उपलब्ध कराए गए वाहन नवीनतम मॉडल के होंगे और जनवरी 2024 से पुराने नहीं होंगे।

2. मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि कार्यालय में तैनात किए गए ड्राइवरों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित पुलिस मामले न हों, और वे लापरवाही से वाहन चलाने के एक से अधिक मामलों (चालान/दंड) में शामिल न हों। मैं सभी ड्राइवरों की तैनाती से पहले उनकी पर्याप्त पृष्ठभूमि की जाँच करूँगा।

3. स्पाइसेस बोर्ड, भारत वाहन(वाहनों), चालकों या किसी तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी चालान, जुर्माने, दुर्घटना या कानूनी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे सभी खर्च, क्षति या नुकसान पूरी तरह से मेरे द्वारा वहन किए जाएंगे।

4. तैनात किए गए सभी ड्राइवरों के पास पेशेवर ड्राइविंग अनुभव और वैध लाइसेंस होंगे।

5. मैं अपने कर्मचारियों, चालकों या वाहनों द्वारा किसी व्यक्ति या संपत्ति को हुई लापरवाही, दुर्घटना, चोट या क्षति के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, आरोप या कानूनी विवाद के विरुद्ध भारतीय स्पाइसेस बोर्ड को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता हूँ। अनुबंध के निष्पादन के दौरान, चाहे इसमें आम जनता शामिल हो या तृतीय पक्ष, किसी भी प्रकार की देनदारी की पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम : _______________
हस्ताक्षर : __________________
तारीख : __________________